प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

अनुदान संख्या–14
तेरह अंको का कोड–2515001012200

सेवा में,

उप निदेशक(पं0)/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/67/2023–1/58/2023 लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में कांजी हाउस की स्थापना/पुनर्निमाण एवं संचालन हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–आई0/439344/2023/33–3002/12/2023–3/00–173548, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2023–24** में कांजी हाउस की स्थापना/पुनर्निमाण एवं संचालन योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–22–जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण/स्थापना एवं संचालन के मानक मद–42–अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि **कुल रू0–500.00 लाख (पांच करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत **कुल रू0–500.00 लाख (पांच करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1–आवंटित धनराशि का व्यय/उपभोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी का होगा।

2–आवंटित धनराशि का आहरण वर्ष 2023–24 की अवधि में जिला पंचायतों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2023/बी–1–227/दस–2023–231/2023 दिनांक–17.03.2023 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3–जिला पंचायतों को आवंटित की जा रही धनराशि नोडल अधिकारी द्वारा शासनादेश के साथ सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित ई–पेमेंट के द्वारा सीधे संबंधित जिला पंचायत के खाते में जमा की जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

4–संबंधित जिला पंचायत द्वारा इस धनराशि को जिला पंचायत निधि में जमा कराकर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक व्यय किया जायेगा। संबंधित जिला पंचायत द्वारा नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। कांजी हाउस निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही जिला पंचायत को धनराशि आवंटित की जाय एवं मानचित्र सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत किया कराया जायेगा।

5–धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6–आवंटित की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–22–जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण/स्थापना एवं संचालन के मानक मद–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक–18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8–धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कांजी हाउसों हेतु निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

D/Vijay Laxmi/FY 2023-24 /Budget All. 2023-24/Kanzi House Budget Allotment

9–पूर्व में निर्मित कांजी हाउसों की मरम्मत तथा नया कांजी हाउसों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग के अद्यतन एस0ओ0आर0 के आधार पर आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा।

10–कांजी हाउसों के संचालन/निर्माण हेतु जो कार्य प्रश्नगत योजना की आवंटित धनराशि से कराये जायेंगे, उन कार्यों हेतु अन्य किसी योजना से शासकीय धनराशि प्राप्ति नहीं की जायेगी।

11–प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानित अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12–निर्माण एवं व्यय के दौरान संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

13–आवंटित धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

14–कांजी हाउसों के निर्माण की निर्धारित मानक क अनुसार गुणवत्तायुक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से शासन/नोडल अधिकारी को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–22 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/67/1/2023 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–211001.
3–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4–उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6–मुख्य अभियंता जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ0प्र0।
7–एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

D/Vijay Laxmi/FY 2023-24 /Budget All. 2023-24/Kanzi House Budget Allotment